W सरकार से कि बीकानेर को हावड़ा से जोड़ा जाना चाहिए जितना जल्दी हो सके।

एक माननीय सदस्य : मैडम, वह सरला जी का मायका है।

उपसभापति : सरला जी का मायका है और अग्रवाल जी का क्या है।

श्री रामदास अग्रवाल : वह मेरे प्रदेश में है इसलिए मै मांग कर रहा हूं। वह उनका मायका है इसलिए वे मांग कर रही है।

श्री सतीश अग्रवाल : (राजस्थान) : सरला जी तो हमारी बेटी है।

उपसभापति : मायके ही तो नहीं जा पा रही हैं। दिस इज द होल प्राब्लम। श्रीमती मालती शर्मा।

Rupee One Crore Scheme for M.Ps.

श्रीमती मालती शर्मा (उत्तर प्रदेश) : मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार ने जो एक करोड़ रुपए की योजना माननीय सदस्यों के लिए बनाई है उसमें कुछ जो आपत्तिजनक चीजें हैं उनके विषय में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं।

महोदया, इस बार जो स्कीम गयी हैं उसमें लिखा गय है-

> "construction of buildings for schools, hostels, and other buildings of educational institutions belonging to the Government or local bodies and such buildings belonging to aided institutions also can be constructed if the ownership of the land has been transferred in favour of the Government till the building stands."

महोदया, इसमें मेरा निवेदन एक है कि जहां तक सड़कों या अन्य चीजों के कंस्ट्रक्शन की बात है वह तो उचित है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां विद्यालय आज तक भी इस स्थिति में हैं कि 14-14, 15-15 किलोमीटर तक बच्चों के पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है और जंगल में स्कूल खड़े हुए हैं तो उन स्कूलों को सहायता करने की आज विशेष आवश्यकता है।

उसमें मेरा निवेदन यह है कि इसमें यह जो एक चीज दे दी गयी है कि उसकी जमीन की ओनरशिप गवर्नमेंट को, हो तब जाकर हम उन विद्यालयों को पैसे दे सकते हैं, इससे कठिनाई हो जाएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से इतना निवेदन सरकार से करना चाहूंगी कि इसमें केवल मान्यता का अगर प्रतिबंध हो जाए तो मैं समझती हूं कि यह उचित होगा क्योंकि सरकार मान्यता देती है सरकार विद्यालयों को क्षतिपूर्ति अनुदान देती है। ये दोनों ऐसे विषय हैं यदि सरकार विदड्रा कर ले तो फिर वह विद्यालय चल नहीं सकता है। इसिलए इसमें मान्यता का प्रतिबंध लगा दिया जाए। यह प्रतिबंध न लगाया जाए कि –

> "If the ownership of the land has been transferred in favour of the Government till the building stands."

इस प्रतिबंध के कारण से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को हम लोग कोई सहायता नहीं दे पाएंगे। विद्यालयों को हम लोग कोई सहायता नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया जाए कि जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय है जिन्हें सरकार मदद नहीं दे रही है जो केवल अपनी छोटी सी फीस से ही चलते हैं उनके लिए विशेष रूप से यह छूट दी जानी चाहिए कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों को हम लोग कुछ फंड्स दे सके जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले विद्यालयों की भी कुछ सहायता हो सके। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन यह है कि इसमें मान्यता शब्द जोड़ा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Madam, this is a practical problem. If this condition is there, I think the problem cannot be solved. Instead of saying that the ownership of the land should be transferred to the Government, it should be that the land should be recognised by the Government. Only then the MPs' funds can be utilised for that purpose.

SHRI K. RAHMAN KHAN (Karnataka): Madam, I also associate myself with the sentiments expressed by Shrimati Malti Sharma.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am also associating myself because I am also a Member of this House.

SHRI DIGVIJAY SINGH (Bihar): Madam, the whole House is associated.

प्रो. राम बख्श सिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मैं भी अपने को मालती बहन जी के साथ एसोसिएट करता हूं।

श्री इकबाल सिंह (पंजाब) : मैं भी एसोसिएट करता हूं।

श्री भूपेन्द्र सिंह मान (नाम निर्देशित) : मैडम, मैं इसके साथ एसोसिएट करते हुए यह कहना चाहता हूं कि जो इम्प्लीमीटिंग एजेंसी है ....(**व्यवधान**)

उपसभापति : वह बात कहिए जो....(**व्यवधान**)

श्री भूपेन्द्र सिंह मान : पंचायत को भी इसमें डाल देना चाहिए।

श्री दिग्विजय सिंह : यह हमारे हाउस की सर्वसम्मत राय है ....(**व्यवधान**) उसमें इसकी इजाजत दी जाए।

श्री भूपेन्द्र सिंह मान : यह ठीक होगा गवर्नमेंट की जगह पंचायत भी उसमें होनी चाहिए। पंचायत को भी गवर्नमेंट एजेंसी मानना चाहिए।

उपसभापति : श्री नारायण प्रसाद गुप्ता जी।

Discontentment among victims of Bbopal Gas Tragedy due to Non-Payment of Compensation

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदया , मैं आपके माध्यम से भोपाल नगर के शेष 20 वार्डो के लिए अंतरिम राहत की घोषणा की मांग करना चाहता हूं । महोदया, पूरा सदन जानता है सन् 1984 में भोपाल में एक बड़ा गैस हादसा हुआ यूनियन कारबाइड के द्वारा और कोई 7 या 8 लाख लो ग शहर के प्रभावित हुए । हम आशा करते थे कि सरकार इसको गंभीरता से लेगी और 7-8 लाख लोग जो गैस से पीड़ित हुए हैं और जिनकी पीढ़ियां भी पीड़ित रहेगी, सब समस्या को सरकार गंभीरता से लेगी, लेकिन मुझे इस बात का खेद है कि सरकार ने अभी तक इस पर गंभीरता से कार्यवाही नहीं की है।

सब से पहली आपत्ति मुझे यह है कि भोपाल के गैस पीड़ितो को जो मुआवजा दिया गया या जो करार कराया गया है वह उनकी इच्छा के विपरीत कराया गया और जितना वे चाहते थे यूनियन कारबाइड से उसकी राशि समझौते में नहीं ली गई। फिर भी जो समझौता हुआ, जो राशि आ गई है वह अब केन्द्र सरकार के पास है और भोपाल के सात लाख लोग यह आशा करते हैं कि उनका पैसा जो उनको क्षति हुई है वह उनको बांट दिया जाएगा। पहली तकलीफ तो भोपाल में यह है कि जो सात, साढ़े सात लाख लोग उस समय गैस पीड़ित थे

उनमें से 5 लाख लोगों को गैस पीडित घोषित किया गया। 50 वार्डो में से 36 वार्डो को गैस पीड़ित घोषित किया गया। अब जो लोग भोपाल की सिचुएशन जानते हैं , यूनियन कारबाइड का कारखाना भोपाल शहर के मध्य से ही सरकार ने उसको बनाने की अनुमति दे दी थी और इससे यह सारा हादसा हुआ। सारा शहर प्रभावित हुआ। शहर के बाहर यद्यपि यह फैक्टरी होती तो शायद शहर इससे बच जाता अब जब यह गैस फैली तो शहर के एक वार्ड में गई और दूसरे वार्ड में नहीं गई ऐसा तो हो भी नहीं सकता था। गैस जब चारों तरफ फैली तो पूरा शहर प्रभावित हुआ। हम अब यह आशा करते थे कि 56 वार्डो को ही गैस पीड़ित घोषित कर दिया जाएगा, लेकिल मुझे खेद है कि उनमें से केवल अभी तक 36 वार्डो को ही घोषित किया गया। हमने संतोष रखा और यह कहा कि जरा इसकी जांच आप करवा लीजिए कि असलियत क्या है। इसलिए 1985-86 में टाटा सर्वे और आई.सी.एम.आर. की मेडिकल रिपोर्ट में जिसमें बैरागढ़ भेल एंव नए भोपाल के 20 वार्डो के लगभग 2 लाख लोग गैस पीड़ित हैं, उसकी पुष्टि हुई है। यह जो सर्वे रिपोर्ट आई है टाटा की उन्होंने कहा लेकिन सरकार ने उस पर भी पूरा भरोसा नहीं किया। फिर जस्टिस कासलीवाल कमेटी बनाई गई । अब यह सब सरकार ने किया है और हम आशा करते थे कि यह जस्टिस कासलीवाल तो उन्हीं के हैं। उनके द्वारा एप्वायंटेड कमेटी की सिफारिशें सरकार लागू करेगी। यह आशा कोई भी कर सकता है । लेकिन जस्टिस कासलीवाल कमेटी की भी रिपोर्ट आ गयी। उन्होंने भी उसकी सिफारिश कर दी। मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी तरह मांग की है कि इन 20 वार्डो को भी उसमें शरीफ किया जाए। भोपाल पूरी तरह से आंदोलित है। इसके लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। 67 हजार पोस्ट कार्ड प्रधान मंत्री जी को भेजे गए हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, दो लाख लोगों में से 67 हजार पोस्टकार्ड लोगों ने भेजे हैं, लेकिन सरकार अभी तक जस्टिस कासलीवाल कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही है। यह बहुत चिंता का विषय है। पहली एक्शन प्लान जो बनाई गई है और जो अब जनवरी 1996 में समाप्त हो रही है वह तो समाप्त की हो रही है लेकिन दूसरी जो योजना मध्य प्रदेश सराकर की ओर से जहां कांग्रेस की सराकर है 172.05 करोड़ रुपये की जो नई योजना भेजी गई है। अगर सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया तो पहले योजना जिस के लिए सरकार ने डेढ़ सौ करोड़ रुपया दिया है ,वह बेकारर हो जाएगी। इसलिए मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जो नयी योजना भेजी है।